



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT
COMMISSIONER,
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096
टेली/Tel: 022-28294799 / 28294700 फैक्स/Fax: 022-28291754,
ई-मेल/E-mail : dcseepz-mah@nic.in

फा.सं.सीपज़/न्यूसेज़/आइएनटीआरएनएस/225/2009-10/वॉल्यू-III/ 21628 दिनांक: 31.10.2017

सार्वजनिक सूचना संख्या 42 / 2017

विषय: वाणिज्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 24.5.2006 के अनुदेश संख्या 4 के लागू किए जाने के संबंध में विभिन्न स्ट्रेकधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के संबंध में ।

उपर्युक्त विषय पर सेज़ में व्यापारिक यूनिटों (ट्रेडिंग यूनिटों) के स्थापना के लिए मंत्रालय के दिनांक 06.9.2017 के पत्र फा.सं.सी.6/1/2017-सेज़ की ओर सभी संबंधितों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 24.5.2006 का अनुदेश संख्या 4 वैध है तथा व्यापारिक गतिविधियां (ट्रेडिंग एक्टिविटी) चलाने वाले सभी यूनिटों पर लागू है ।

दिनांक 24.5.2006 के अनुदेश संख्या 4 में स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित है कि व्यापारिक गतिविधियां चलाने का अनुमोदन रखने वाले सभी सेज़ यूनिटों को सभी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां चलाने की अनुमति दी जाएगी तथा आयातित मालों के पुनर्निर्यात के रूप में कारोबार करने वाले यूनिटों को ही 10 ए ए के अधीन लाभ प्राप्त होगा । सेज़ में यूनिटों को घरेलू क्षेत्र से भी सोर्सिंग की अनुमति दी जाएगी जिन्हें कारोबार की अनुमति दी गई हो, बशर्ते कि उक्त अनुदेश का संदर्भ देते हुए संबंधित यूनिटों द्वारा इस आशय की अंडरटेकिंग प्रस्तुत की जाए कि वे आयातित मालों के पुनर्निर्यात के रूप में व्यापार करने के अलावा अन्य किसी व्यापारिक गतिविधि के लिए आयकर का लाभ नहीं लेंगे ।

अतएव, सभी संबंधित स्ट्रेकधारकों को अनुदेश दिया जाता है कि वे यथानिर्दिष्ट प्रावधानों का अनुपालन करें ।

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीपज़-सेज़

प्रति,

- (क) सीपज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी व्यापारिक यूनिट (ट्रेडिंग यूनिट) ।
- (ख) सूचना पट्ट ।
- (ग) सीपज़-सेज़ वेबसाइट ।



सत्यमेव जयते

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA,
विकास आयुक्त का कार्यालय/ OFFICE OF THE DEVELOPMENT
COMMISSIONER,
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
वणिज्य और उद्योग मंत्रालय, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096. ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400096
Tel: 022-28294799/28294700
Fax: 022-28291754, E-mail: dcseepz_mah@nic.in

F. No. SEEPZ/NEWSEZ/INTRNS/225/2009-10/Vol-II / 21628 Date: 31.10.2017


PUBLIC NOTICE NO. 42/2017

Sub : Representation received from various stakeholders on applicability of Instruction no. 4 dated 24.05.2006 issued by Dept. Of Commerce - regd.

Attention is invited to the Ministry's letter no. F.No. C.6/1/2017-SEZ dated 06.09.2017 on the subject cited above with regard to setting up of trading units in SEZ clarifying that the Instruction no. 4 dated 24.05.2006 is valid and applicable to all the Units undertaking "Trading Activity".

Instruction no. 4 dt. 24.05.2006 clearly specifies that SEZ Units who hold the approval to do trading activities will be allowed to carry out all forms of trading activity, and the benefits under Section 10 A A will exclude trading other than trading in the nature of re-export of imported goods. Also sourcing from domestic area may be permitted by units in SEZ which are allowed to do trading, subject to this circular being cited and on production of an Undertaking by the concerned unit that no income tax benefits will be availed by the Unit for trading except in the nature of re-export of imported goods.

Therefore, all the concerned Unitholders are directed to adhere to the provisions as laid down.


(V. P. Shukla)

Jt. Development Commissioner
SEEPZ-SEZ

To,

- i. All Trading Units under the jurisdiction of SEEPZ SEZ
- ii. Notice Board
- iii. SEEPZ SEZ Website